प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पैंतालीस '

प्रश्न क्रमांक 6268]

परिशिष्ट [16/3/2016]

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर, भोपाल 462021

दूरभाष 0755--2583660, फैक्स 0755--2583651

क्रमांक/स्था.-3/सी-2/ /2016/206 भोपाल दिनांक 6 . 2 . 16

प्रति

1 समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

2 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण म.प्र।

3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:-गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न शिक्षकों को उनकी मूल पदस्थापना पर भेजने बाबत।

संदर्भ:-1. शासन पत्र क्र.-एफ 44-69/07/2-2, भोपाल दिनांक 13.07.2009।

2. सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र. एफ 6-2/2012/एक/9 भोपाल, दिनांक 25.06.2013

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, तदनुसार निर्देशित किया गया है कि जो शिक्षक संलग्न हैं उन्हें मूल पदस्थापना के लिए भार मुक्त किया जाए और यदि कोई शिक्षक संलग्न पाया जाता है तो उसके वेतन भुगतान के लिए आहरण/संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।

2/ संचालनालय के संज्ञान में आया है कि जन प्रतिनिधियों के पास अथवा विद्यालय से अन्यत्र शासन नियमों के विरूद्ध अनेक शिक्षक संवर्ग के व्यक्ति सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे उन स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

3/ एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का पदस्थापना वाले विद्यालयों में कार्यरत होकर शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। वर्तमान में किसी भी स्तर पर संलग्न शिक्षकों को तत्काल मूल पदस्थापना में पदस्थ की कार्यवाही की जाए। भविष्य में शासन के विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्यों के लिए अभिनियोजन पाया जाता है तो व्यक्तिशः संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण/जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। उक्त निर्देश के विपरीत निर्देश में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस विषय में सभी संबंधितों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

4/ अपरिहार्य स्थितियों में निर्वाचन/जनगणना आदि में शिक्षक को लगाया गया है तो संभागवार/जिला अंतर्गत संलग्न शिक्षकों की संख्या दर्शाते हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उक्त संख्या के अतिरिक्त कोई शिक्षक गैर शिक्षकीय कार्य में निजी संस्था/कार्यालय/जनप्रतिनिधि के पास कार्यरत नहीं है।

तदनुसार प्रमाण पत्र 07 दिवस की समय सीमा में भिजवाना सुनिश्चित करें।

(दीप्ति गौड़ मुकर्जी)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्था.-3/सी-2/ /2016/207 भोपाल दिनांक 6 . 2 . 16

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, मान. मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा (म0प्र0)

पृ.क्र/स्था-3/मूल पदस्थापना/मुक्ति पत्र/2016/2315 रीवा दिनांक 8/2/16

प्रतिलिपि-

1. समस्त संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि./हाईस्कूल/माध्यमिक/प्राथमिक जिला रीवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्रोत समन्वयक जिला रीवा की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

08/02/2016
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल